



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड
 मध्य मार्ग सेंक्टर 19-बी, चण्डीगढ़-160019
 0172-5011761, फैक्स 0172-2549857



कार्यालय आदेश

क्रमांक - 947

/बी-837/ सी-टाईप/टाईप-11/वा-30/2-सामान्य

दिनांक - 22-04-19

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के निम्नलिखित कर्मचारी को भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड कालोनी, सेंक्टर 36-ए, चण्डीगढ़ में टाईप-11 का निम्नलिखित आवास चिकित्सा आधार पर, बिना बारी नियमों में छूट देते हुए, आबंटित किया जाता है-

क्रमांक	नाम व पद	कार्यालय	आवास नं	कथन
1	श्री सीमा राणा, लिपिक।	मुख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, बीबीएमबी, चण्डीगढ़।	15-सी/तृतीय तल/टाईप-11, सेंक्टर 36-ए, चण्डीगढ़।	कर्मचारियों को आवास का कब्जा देने से पहले यह प्रमाणित करवा लिया जाए कि उन्होंने चण्डीगढ़, पंचकूला एवं मोहाली में अपना निजी आवास बनाने/खरीदने हेतु अपने विभाग से कोई लोन नहीं लिया है।

- उक्त आबंटन भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड की चण्डीगढ़ में स्थित कालोनी की समय-समय पर जारी आबंटन की शर्तों के अन्तर्गत किया जाता है। सम्बन्धित कर्मचारी को मकान का कब्जा लेने से पहले उप मण्डल अधिकारी सिविल अनुरक्षण उप मण्डल नं 11, भा ब्या प्र बोर्ड, चण्डीगढ़ को लिखित रूप से देना होगा कि वह आबंटन की शर्तों का पालन करेगा।
- यदि सम्बन्धित कर्मचारी अनुबंधित समय (दस दिन) में मकान का कब्जा नहीं लेगा तो आवास का आबंटन स्वयं ही रद्द हो जायेगा।
- यह आदेश अध्यक्ष भा ब्या प्र बोर्ड के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

विशेष सचिव

पृष्ठा क्रमांक - 13510-17

/बी-837/ सी-टाईप/टाईप-11/वा-30/2-सामान्य

दिनांक: 22-04-19

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

- मुख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, भा ब्या प्र बोर्ड, चण्डीगढ़।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल अनुरक्षण मण्डल, भा ब्या प्र बोर्ड, चण्डीगढ़।
- वरिष्ठ लेखा अधिकारी, भा ब्या प्र बोर्ड, चण्डीगढ़।
- ई डी पी मैनेजर, कम्प्यूटर सैल, भा ब्या प्र बोर्ड चण्डीगढ़। यह अनुरोध किया जाता है कि उक्त पत्र को बीबीएमबी की वेबसाइट पर डाला जाए।
- उप मण्डल अधिकारी, सिविल अनुरक्षण उप मण्डल नं 1 एवं 11, भा ब्या प्र बोर्ड चण्डीगढ़।
- सम्बन्धित कर्मचारी।

विशेष सचिव 22/4/19

प्रतिलिपि

मास्टर फाइल।